बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

संचिका संख्या–10/मु०–02/2025...../माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–19515/2024 काशी नरेश झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–07.01.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–19515/2024 में दिनांक–07.01.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी पक्ष निम्न है–

"4. Taking into consideration the attitude of the District Education Officer, Darbhanga and the District Programme Officer (Establishment), Darbhanga, I have no alternative except to direct the respondent no.3 [The Special Director (Secondary Education), Government of Bihar, Patna] to call for the service particulars of the petitioner and verify, whether the case of the petitioner is covered by the judgment passed in LPA No.43 of 2016 and other cases and take necessary steps to grant similar relief(s) to the petitioner expeditiously without delay."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न तिथि को मामले की सुनवाई की गयी। वादी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

4. वादी द्वारा दावा किया गया कि इनका मामला LPA संख्या–43/2016 में दिनांक–13.08.2019 को पारित आदेश से आच्छादित है। जिसके आलोक में उन्हें पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ मँहगाई भत्ता सहित दिया जाय। उनके द्वारा पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने का भी मांग किया गया तथा सरकारी सेवक की भाँति अन्य लाभ दिये जाने की मांग की गयी।

5. विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक–01.08.2023 के द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी तिथि को संशोधित किया गया है।

6. विभागीय संकल्प संख्या–285 दिनांक 12.04.1999 एवं संकल्प संख्या–970 दिनांक 31.08.2013 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को निर्धारित वेतन एवं स्वीकृत महंगाई भत्ता ही देय है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल.पी.ए. 43/2016 में दिनांक 13.08. 2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"----------We, however, bearing note of the Constitution Bench judgment of the Supreme Court rendered in the case of Krishna Kumar Singh (supra) are not persuaded to allow the payment of superannuation benefits to these teaching and non-teaching staffs in these schools because they are employees of the schools which are run by the private managing committees and thus cannot be held government employees for such admissibility. To such extent we refuse the relief of superannuation benefits for the retired employees of the schools for they do not acquire the status of a government employee and the relief that we have allowed is strictly limited to therevision of pay-scales under the 5th and

6th Pay Revisions together with the dearness allowance admissible thereon.----------"

उक्त पारित न्यायादेश से यह स्पष्ट है कि निजी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों के समतुल्य नहीं माना गया है तथा उन्हें सिर्फ पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ महंगाई भत्ता के साथ दिये जाने तक सीमित किया गया है।

8. विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.03.1989 के प्रभाव से एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से तद्नुसार अनुमान्य अंतर वेतनादि का लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. चूंकि पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। जिसके अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदेय है। वादी निजी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं। अतः वर्णित स्थिति में वादी को बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों की भांति अन्य लाभ दिये जाने का दावा अनुमान्य नहीं है।

10. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, दरभंगा इस आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय आदेश संख्या–230 दिनांक 05.02.2024 द्वारा गठित पूर्व अंकेक्षण कोषांग (Pre Audit Cell) से सेवापुस्त/निर्धारित वेतन/विपत्र का सत्यापन कराकर वादी को पंचम् एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण की अंतर वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

5.1.2026

(सचिन्द्र कुमार),
विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–02/2025 52 पटना, दिनांक–05-01-26

प्रतिलिपिः– Kashi Naresh Jha Son of Late Ram Shankar Jha, Resident of Village-Sahora, P.O.- Anandpur, Police Station- Ashok Paper Mill, District-Darbhanga./सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.1.2026

विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।